



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना ललपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 42/2019 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय एनडीपीएस एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राजबहादुर पुत्र सुखदेव निवासी ग्राम पौथिया, थाना ललपुरा, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 02 वर्ष के कठोर कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



अभियोजक—
एडीजीसी प्रवीण
कुमार भदौरिया



विवेचक—
उ0नि0 विजय
बहादुर



पैरोकार
थाना- ललपुरा
का0 मुकेश राजपूत